उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तराखंड सरकार** ने राज्य विधानसभा में 5,013 करोड़ रुपए का **अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)** प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु

- **उत्तराखंड कारागार एवं सुधार सेवाएँ विधेयक, 2024** तथा **ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950** में संशोधन भी प्रस्तुत किया गया।
    - **अनुपूरक बजट में केंद्र पोषित योजनाओं के लिये 1,532 करोड़ रुपए तथा बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये 273 करोड़ रुपए शामिल थे।**
    - राज्य में **बड़े निर्माण कार्यों** के लिये कुल 749 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
    - **टिहरी झील विकास** के लिये 50 करोड़ रुपए, **गौ सदन निर्माण** के लिये 32 करोड़ रुपए, नर्सिंग कॉलेजों के लिये 25 करोड़ रुपए तथा डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- उत्तराखंड कारागार एवं सुधार सेवाएँ विधेयक, 2024 का उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा **कई पुराने अधिनियमों को निरस्त** करने के बाद **राज्य के कारागार कानूनों को अद्यतन** करना है। यह विधेयक **कैदियों के प्रबंधन और पुनर्वास** से संबंधित है।
- राज्य सरकार ने **नगरपालिका क्षेत्रों के विस्तार और संबंधित भूमि विवादों से उत्पन्न मुद्दों के समाधान के लिये ज़मींदारी उन्मूलन** एवं भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950

- यह भारत में **ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला पहला महत्त्वपूर्ण कानून** था।
- इस सुधार का मुख्य लक्ष्य ज़मींदारों, जागीरदारों और इनामदारों जैसे **बिचौलियों को हटाना** था, जो काश्तकारों का शोषण कर रहे थे।
- इस सुधार का उद्देश्य **भूमि का स्वामित्व सीधे भूमिधारकों या कृषकों को हस्तांतरित करके उन्हें मज़बूत बनाना भी था।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supplementary-budget-tabled-in-uttarakhand-assembly